रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022022-233684
CG-DL-E-23022022-233684

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145]	नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 23, 2022/फाल्गुन 4, 1943
No. 145]	NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 23, 2022/PHALGUNA 4, 1943

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 148(अ).—केंद्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 97 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड नियम, 1974 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड नियम, 1974 में नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:

"4. अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में चयन मानदंड-

1. **भर्ती की पद्धति-** पदों को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती के आधार पर भरा जाएगा।

2. वेतन-

(i)(क) बोर्ड के अध्यक्ष की संशोधित वेतन संरचना केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में स्तर-16 (205400-224400 रुपये) होगी।

(i)(ख) बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्यों की संशोधित वेतन संरचना केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में स्तर-15 (112200-224100 रुपये) होगी।

परंतु जहां राज्य सरकार, राज्य विद्युत बोर्ड, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा केंद्रीय सरकार में सेवारत व्यक्ति को अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो ऐसी नियुक्ति वेतन, वेतन वृद्धि, उपदान, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी जो यदि वे अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक सदस्य, जैसा भी मामला हो, के रूप में नियुक्त नहीं किए गए होते तो आहरित अथवा प्राप्त कर रहे होते।

(ii) अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक सदस्य ऐसे यात्रा भत्ते और अन्य भत्तों के हकदार होंगे जो नियम 6 में संदर्भित पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड-3 (यात्रा भत्ता नियम) के अधीन पंजाब सरकार के उच्चतम ग्रेड के अधिकारियों को स्वीकार्य, अथवा सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष अथवा सदस्यों के लिए स्वीकार्य अथवा भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड द्वारा केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर अपने उच्चतम रैंक के अधिकारियों के लिए अपनाए गए यात्रा भत्तों और अन्य भत्तों में से जो भी अधिक हो (अनुबंध-6 के अनुसार संशोधित), उसके हकदार होंगे;

परंतु भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले किसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सेवारत व्यक्ति के मामले में, कथित बोर्ड में उनकी प्रतिनियुक्ति के दौरान प्रदर्शन संबंधी वेतन स्वीकार्य नहीं होगा।

(iii) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों के वेतन और भत्तों का भुगतान बोर्ड की निधियों से किया जाएगा।

3. पात्रता-

(i) आयु.- आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी की आयु अट्ठावन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की उपलब्धता- यथालागू विगत पांच वर्षों के लिए अद्यतन वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट डोजियर।

(iii) सतर्कता मंजूरी- अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई सतर्कता अथवा अनुशासनिक मामला लंबित अथवा विचारित नहीं होना चाहिए।

(iv) अर्हता और अनुभव-

(क) अध्यक्ष- अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से सिविल अथवा इलेक्ट्रिकल अथवा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग स्नातक अथवा उसके समकक्ष होना चाहिए।

(क) उन्हें कम से कम पच्चीस वर्ष का नियमित अनुभव होना चाहिए, जिसमें से निम्नलिखित के संबंध में परियोजना प्रमुख के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव (आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को) प्राप्त हो,-

(i) निर्माण और प्रचालन,-

(क) 200 मेगावाट अथवा उससे अधिक क्षमता की वृहद् जल विद्युत परियोजनाओं अथवा

(ख) 132 केवी एवं उससे अधिक के वोल्टेज स्तर वाली न्यूनतम 500 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन; का निर्माण और प्रचालन

(ii) बड़े बांधों (न्यूनतम ऊंचाई 50 मीटर और लंबाई 300 मीटर) अथवा 15 मीटर ऊंचाई और 350 मीटर लंबाई के बैराज अथवा न्यूनतम 1000 क्यूसेक की जल वहन क्षमता वाले नहर नेटवर्क का निर्माण और प्रचालन; अथवा

(ख) उन्होंने सिंचाई अथवा विद्युत परियोजनाओं के निर्माण, प्रचालन, रखरखाव, आयोजना और डिजाइनिंग में न्यूनतम पच्चीस वर्षों के नियमित अनुभव सहित मुख्य अभियंता (ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर) के रूप में कार्य किया हो।

(ख) सदस्य (सिंचाई)- अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग स्नातक अथवा समकक्ष होना चाहिए और उन्हें निर्माण और प्रचालन से संबद्ध परियोजना प्रमुख के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष के अनुभव सहित न्यूनतम बीस वर्ष का नियमित अनुभव (आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को) निम्नलिखित मे प्राप्त होना चाहिए,-

(क) बड़े बांध (न्यूनतम 50 मीटर ऊंचाई और 300 मीटर लंबाई); अथवा

(ख) न्यूनतम 15 मीटर ऊंचाई और 350 मीटर लंबाई के बैराज; अथवा

(ग) न्यूनतम 1000 क्यूसेक की जल वहन क्षमता के नहर नेटवर्क।

(ग) सदस्य (विद्युत)- अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से इलेक्ट्रिकल अथवा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग स्नातक अथवा उसके समकक्ष होना चाहिए और उन्हें निर्माण और प्रचालन से संबद्ध परियोजना प्रमुख के रूप में कम से कम तीन वर्ष के अनुभव (आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को) सहित कम से कम बीस वर्ष का समग्र अनुभव होना चाहिए,-

(क) 200 मेगावाट अथवा उससे अधिक क्षमता की बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं; अथवा

(ख) 132 केवी और उससे अधिक के वोल्टेज स्तर की न्यूनतम 500 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन।

4. धारणाधिकार- मूल विभाग द्वारा अनुमति दिए जाने पर, अभ्यर्थी मूल विभाग के साथ धारणाधिकार बनाए रख सकता है।

5. सर्च-कम-सलेक्शन कमेटी की संरचना- कमेटी में निम्नलिखित शामिल होंगेः

(i) अध्यक्ष:-कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन से और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

क) सचिव, विद्युत मंत्रालय - अध्यक्ष;

ख) सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय - सदस्य;

ग) सचिव, जल शक्ति मंत्रालय - सदस्य;

घ) माननीय मंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम के अध्यक्ष- सदस्य;

ङ) माननीय मंत्री द्वारा सदस्य के रूप में नामित एक बाहरी विशेषज्ञ।

(ii) सदस्य (विद्युत) और सदस्य (सिंचाई):- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन से और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

क) सचिव, विद्युत मंत्रालय - अध्यक्ष;

ख) अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग - सदस्य;

ग) अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण - सदस्य;

घ) अध्यक्ष, भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड - सदस्य;

ङ) माननीय मंत्री द्वारा सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट एक बाहरी विशेषज्ञ।"

[फा. सं. 5-8/24/2017- बीबीएमबी]

रघुराज राजेंद्रन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 1330, तारीख 14 दिसंबर, 1974 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 573 (अ), तारीख 16 अगस्त, 2021 द्वारा किए गए थे।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2022

G.S.R. 148(E).—In exercise of the powers conferred by section 97 of The Punjab Re-organization Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Bhakra Beas Management Board Rules, 1974, namely:-

1. **Short title and commencement -** (1) These rules may be called the Bhakra Beas Management Board (Amendment) Rules, 2022.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bhakra Beas Management Board Rules, 1974, for rule 4, the following rule shall be substituted namely:-

"4. Selection Criteria in respect of appointment of Chairman and Whole-time Members.-

1. **Method of Recruitment**.- The posts shall be filled on Deputation or Direct Recruitment basis with the approval of the Appointment Committee of Cabinet.

2. Salaries.-

(i)(a) Revised Pay structure of the Chairman of the Board shall be level-16 (Rs. 205400-224400) in the pay matrix in accordance with the provisions of the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016.

(i)(b) Revised Pay structure of whole-time Members of the Board shall be level-15 (Rs. 112200-224100) in the pay matrix in accordance with the provisions of the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016.

Provided that where a person serving under the State Government, State Electricity Board, Central public Sector Undertaking or the Central Government is appointed as the Chairman or a whole-time Member, such appointment shall not adversely affect the pay, increment, gratuity, pension and other retirement benefits which he would have drawn or received had he not been so appointed as Chairman or whole-time Member as the case may be.

(ii) The Chairman or a whole-time Member shall be entitled to such travelling allowance and other allowances as are admissible to the officers of the highest grade of the Govt. of Punjab under the Punjab Civil Services Rules, Vol. lll (Travelling Allowance Rules) as referred to in rule 6, or as admissible to the Chairman or Members of the Public Enterprises Selection Board or as adopted by the Bhakra Beas Management Board for its highest ranking officers from time to time with the approval of the Central Govt., whichever is higher (Amendment as per Annexure VI);

Provided that in case of a person serving under any Central Public Sector Undertaking coming on deputation to Bhakra Beas Management Board, the performance related pay shall not be admissible during their deputation in the said Board.

(iii) The salary and allowances of the Chairman and whole-time Members shall be paid out of the funds of the Board.

3. Eligibility.-

(i) Age.- The candidate should not be more than fifty eight years of age as on the closing date of receipt of application.

(ii) Availability of Annual Confidential Reports.- Up-to-date Annual Confidential Reports Dossiers for the last five years as applicable.

(iii) Vigilance Clearance.- No Vigilance or Disciplinary case should be pending or contemplated against the candidate.

(iv) Qualification and Experience.-

(a) Chairman.- The candidate should be an engineering graduate or equivalent in Civil or Electrical or Mechanical Engineering from a recognised University or Institution.

(A) He should have a minimum twenty five years of regular experience with a minimum of five years experience (as on the closing date of receipt of application) as Head of Project involved in,-

(i) Construction and operation of,-

(a) Large Hydro Electric Projects with 200 MW capacity or more or

(b) minimum 500 circuit kilometres transmission line having voltage level of 132kV and above;

(ii) Construction and Operation of large dams (Minimum 50m height and 300m Length) or Barrage of 15m height and 350m length or Canal network with water carrying capacity of minimum 1000 cusecs; or

(B) He should have worked as a Chief Engineer (Senior Administrative Grade Level) with minimum twenty five years of regular experience in construction, operation, maintenance, planning and designing of Irrigation or Power Projects.

(b) Member (Irrigation).- The candidate should be an engineering graduate or equivalent in Civil Engineering from a recognised University or Institution and he should have minimum twenty years of regular experience with a minimum of three years experience (as on the closing date of receipt of application) as Head of Project involved in construction and Operation of,-

(a) Large Dam (Minimum 50m height and 300m Length); or

(b) Barrage of minimum 15m height and 350m length; or

(c) Canal network with water carrying capacity of minimum 1000 cusecs.

(c)Member (Power).- The candidate should be an engineering graduate or equivalent in Electrical or Mechanical Engineering from a recognised University or Institution and he should have minimum twenty years of overall experience with a minimum of three years experience (as on the closing date of receipt of application) as Head of Project involved in construction and operation of,-

(a) Large Hydro Electric Projects with 200 MW capacity or more; or

(b) minimum 500 circuit kilometres transmission line having voltage level of 132kV and above.

4. Lien.- Candidate can maintain lien with the parent department, if allowed by the parent department.

5. Composition of Search-cum-Selection Committee.- The Committee shall consist of:-

(i) Chairman:- with the approval of Department of Personnel and Training and consisting of:-

a) Secretary, Ministry of Power – Chairman;

b) Secretary, Ministry of New and Renewable Energy – Member;

c) Secretary, Ministry of Jal Shakti– Member;

d) Chairman of one of the Central Public Sector Undertakings under the administrative control of Ministry of Power, to be nominated by Hon'ble Minister - Member;

e) An outside expert as Member to be nominated by the Hon'ble Minister.

(ii) Member (Power) and Member (Irrigation):- With the approval of the Department of Personnel and Training and consisting of:-

a) Secretary, Ministry of Power – Chairman;

b) Chairman, Central Water Commission– Member;

c) Chairman, Central Electricity Authority – Member;

d) Chairman, Bhakra Beas Management Board – Member;

e) An outside Expert as Member to be nominated by the Hon'ble Minister."

[F. No. 5-8/24/2017-BBMB]

RAGHURAJ RAJENDRAN, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1330, dated the 14th December, 1974 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 573(E), dated the 16th August, 2021;

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.02.23 20:10:41 +05'30'